सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–1710/38–5/2011

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाविकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थागत ढाँचा के संबंध में।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 06 सितम्बर, 2011

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित एवं अन्य के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित शासनादेश सं0–2211/अड़तिस–5–10–30 स्वजल/2010(टी0सी0–अ), दिनांक 29.11.2010 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुख्य विकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में तीनों स्तर के मिशन/समितियों के कार्य एवं दायित्व भी वर्णित किये गये थे और यह भी स्पष्ट किया गया था कि कितने अंतराल पर इनकी बैठकें आयोजित की जायेंगी। अभी तक प्रदेश के सभी जनपदों से जनपद स्तरीय स्वच्छता मिशन एवं समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन की प्रगति से शासन को अवगत नहीं कराया गया है, जिसके कारण भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जनपद एवं

ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों का ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में सक्रीय योगदान नहीं हो पा रहा है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला पेयजल स्वच्छता समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराते हुए दिनांक 15.10.2011 तक संलग्न प्रारूप पर तथ्यात्मक विवरण शासन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से संबंधित भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की एक–एक प्रति भी जिला एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर उपयोग हेतु संलग्न की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

6.9.2011

(एन०एस० रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एन०एस० रवि)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या–1710/38–5–2011, दिनांक 06 सितम्बर, 2011 का संलग्नक

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद/ ग्राम पंचायत स्तरीय संस्थागत ढ़ाचा गठन का विवरण।

जनपद का नाम	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के गठन की तिथि, आदेश एवं प्रथम बैठक का विवरण	जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन की तिथि, आदेश एवं प्रथम बैठक का विवरण	जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिसमें ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर
मुख्य विकास अधिकारी